कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)



कार्यालय का पता — पोद्दार कॉलोनी के सामने, तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस, सागर (म.प्र.) फोन/फैक्स नं. — 07582—236867



e-mail – dfowlndehi@mp.gov.in

क्रमांक / मा.बि. / 2023 / 🞖 🕻 🗴 प्रति. सागर, दिनांक - 16 /7 / 2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–भू प्रबंध), म.प्र. भोपाल।

विषय :-

जिला सागर के अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 272.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र. / एफ-3 / 100 / 2021 / 10-11 / 12 / 782 दिनांक 21.02.23.

विषयांकित में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी निम्नानुसार बिन्दुवार तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् सादर सम्प्रेषित है :-

तयार	तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कायवाहा हतु सादर सम्प्रापत ह —				
ф.	बिन्दु	विवरण			
1	2	3			
i.	The basic details of proposed dam like its height, length, command area, technical approval, hydrological assessment etc. along with alternatives examined with relevant maps shall be submitted. The site specificity of the proposal shall be reexamined and a detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area shall be submitted. The presence important floral species like	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है। आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23 द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है। प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वनभूमि अंतर्गत			
iii.	The presence important floral species like Tectona grandis. Lagerstromia, Parviflora, Lanea grandis. Anogeissus latofolia, Agele marmelos, Terminalia tomentosa etc has been reported in proposed diversion area. In this regard, a detailed report shall be submitted along with mitigation measure to protect these species.	सागौन प्रजाति के 18230 वृक्ष तथा सतकठा प्रजाति के 26352 वृक्ष प्रभावित होंगे, जिसके एवज में 300 हे. वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अंतर्गत 3,00,000 पौधे रोपित किए जावेंगे, जिसमें 30 प्रतिशत औषधीय पौधरोपण का प्रावधान किया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर के आदेश क्र./111 दिनांक 16.11.2022 एवं क्र./06 दिनांक 17.01. 2023 द्वारा जारी की गई हैं।			
iv.	The CCF, Sagar in his Site Inspection report has mentioned the presence of Tiger, Wolf, Sloth Bear, Leopard along with reptile's butterflies and other schedule animals in the forest land proposed for divers[on. Further, it has been mentioned that the Indian wolf is the keystone species of Nauradehi Wildlife Sanctuary. Therefore, the comment of Chief Wildlife Warden in this regard needs submission.	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. भोपाल द्वारा अभिमत प्रदाय हेतु लेख किया गया है।			

	0	
	Out of total, 268.39 ha proposed forest land is	अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन क्षेत्र के अंतर्गत
/	located within Nauradehi Wildlife Sanctuary.	पिरावित्य के िप्पत्य के
	Further, as per online Part-II, a part of the forest	क्षेत्र प्रभावित होगा।
	land proposed for diversion is located within Eco-	
	sensitive zone (ESZ) of Nauradehi Wildlife	
	Sanctuary. In this regard the comments of the	
	Chief Wildlife Warden along with the status of	
	the approval of the proposal by the SCNB WL shall be submitted.	
vi.		
	As per DSS analysis, the proposed forest land is	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। जो
	having presence of Agricultural land, Road and	आवेदक संस्थान द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया
	Plantations carried out in the past. The same needs clarification.	जावेगा।
vii.		
''''	The DGPS map indicating the purpose wise	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक
	breakup of the forest land proposed for diversion	संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23
	shall be uploaded on PARIVESH.	द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
viii.	The KML file of submergence area i.e. 772.521	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक
	ha non forest land shall be uploaded on the	
	PARIVESH portal.	संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23
ix.	The copy of CAT al	द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
	The copy of CAT plan as submitted does not	आक्षेप का संबंध मुख्यालय स्तर से है।
	mention that the same is approved by the	
	Principal CCF & HOFF or any other officer	
	authorized by him for the purpose as prescribed	
	under the Chapter-9 at para 9.2 (vi) of	
	Comprehensive guideline Handbook. 2019. The	
Χ.	same need submission.	
Δ.	The proposal involves the rehabilitation of	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक
	people, therefore the copy of approved R&R plan needs submission.	संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23
	needs submission.	द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
xi.	The Cost Benefit analysis has been calculated on	आह्मा का मंद्री अपने मंद्री की रहि
	the old NPV rates, Moreover the complete	आक्षेप का संबंध आवेदक संस्थान से है। आवेदक
	analysis as per the prescribed format has not been	संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र.1424 दिनांक 19.04.23
	submitted. Therefore, revised cost-benefit	द्वारा पूर्ति कर जानकारी प्रेषित की गई है।
	analysis is required to be submitted.	
xii.	The number of trees at FRL-2 & FRL-4 meters	
	has been marked to the	कार्यालयीन पत्र क्र./234 दिनांक 27.02.2023 से
	enumeration detail of the trees may therefore be	जानकारी प्रेषित की गई है। पुनः संलग्न कर प्रेषित
	submitted for each level of the proposed Dam.	है।
xiii.	Examination of proposed CA metals at	4.0
	Examination of proposed CA patches through satellite data revealed that the villagers/	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि नौरादेही (व.प्रा.)
	that the villagels/	वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही पीएला
	inhabitants from the proposed CA land have been	कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय
	relocated/ shifted to some other place and now	भूमि रक्ता ४३७ हुन है है है -
	this vacated land has been proposed for CA.	भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा
	Therefore, the State Govt. shall clarify that the	310.00 हैं. कीपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेन
	land proposed to be given for CA was not part of	वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। उक्त
	any village relocation project for which forest	भूमि विस्थापन प्रक्रिया में प्राप्त भूमि नहीं है।
	land was diverted under Forest(Conservation)	"किन्तु उक्त क्षेत्र अध्ययन्य र
	Act. 1980.	ज अन्य जायसूयमा क्
		700-624-दस-2-75 दिनांक 17.02.1975
1		द्वारा पूर्व से ही नौरादेही अभयारण्य के भाग
F\Draugh	(S Man) III (Ferenza (IIII)	

N.	Satellite data shows the presence of Agriculture	के रूप में अधिसूचित है।"
/	Idild, Kodd, Kiver, Dulli-lin area	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत भूमि नौगरेटी (उन्हर)
	proposed CA land. The same needs clarification.	वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला,
	ciarrication.	कुशयारी एवं रमपुरा मझज की संपूर्ण शासकीय
		भूमि रकबा 437.575 है. में से कलेक्टर, सागर द्वारा
		310.00 हे कोएस स्टास केंद्रिय सागर द्वारा
		310.00 है. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु
		वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। पुनः,
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र.
		^{नापाल} क पत्र क्र. / 4247 दिनांक 14 12 2022 टाज
	·	विष गए निर्देशानुसार उत्तर वनमंडल सागर तथा
		दक्षिण वनमंडल, सागर हेतु 150—150 हे. दगना
		बिगड़ा वन चयनित कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु
XV.	The State Control	योजना तैयार की गई है।
,.	The State Govt. shall examine the proposed CA	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि नौरादेही (व.प्रा.)
	land and ensure that no part of proposed CA land is falling within the River.	वनमंडल अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला,
	within the River.	कुशयारी एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय
		भूमि रकबा 437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा
		310.00 है. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु
		वन विभाग के प्रथम संचाइ परियोजना हतु
		वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी।
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र.
		भोपाल के पत्र क्र./4247 दिनांक 14.12.2022 द्वारा
		दिए गए निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
		हितु वनमंडल दक्षिण सागर अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र
		कक्ष क्र. पी.एफ. 678 रकबा 36 हे., आर.एफ. 673
		रकबा ३३ हे., आर.एफ. ७८५ रकबा ३१ हे., आर.
		एफ. ९४३ रकबा २५ हे., आर.एफ. ९९१ एवं पी.एफ.
		993 रकबा 25 हे. क्षेत्र कुल रकबा 150 हे. एवं
		उत्तर सागर वनमंडल अंतर्गत पी.एफ. 400 रकवा
		50 हे., आर.एफ. 374 रकबा 50 हे., आर.एफ. 381
		रकबा 50 हे. क्षेत्र कुल रकबा 150 हे. क्षेत्र चयनित
		वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
		वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित उक्त क्षेत्र 300 हे.
		के किसी भी भाग में नदी का बहाव नहीं है।
xvi.	The KML file of degraded forest land identified	वनमंडल दक्षिण सागर द्वारा KML फाइल अपलोड
	for plantation work along with CA scheme shall	की जावेगी।
	be uploaded on PARIVESH.	प्य जापमा
xvii.	Some Non-forestry activity is visible within the	नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
	proposed CA site at Village Nauradehi. This	हेतु आवंटित विस्थापित ग्राम नौरादेही में पूर्व से
	needs justification.	निर्मित वन विश्राम गृह स्थित है। अन्य कोई गैर
		वानिकी कार्य प्रचलित नहीं है।
xviii.	It is observed that the Collector Second District	
AVIII.	It is observed that the Collector, Sagar District vide earlier order dated 10.07.2017 handed over	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
	437.575 ha Private land and Revenue land in four	अंतर्गत विस्थापित ग्राम नौरादेही, पीपला, कुशयारी
	(4) villages namely Noradehi, Kushyari, Rampura	एवं रमपुरा मड़ाज की संपूर्ण शासकीय भूमि रकबा
	madaj & Peepla to the State Forest Department	437.575 हे. में से कलेक्टर, सागर द्वारा 310.00 हे.
	to the state rolest bepartment	·

owing to the relocation of these villages and their habitants from the Nauradehi Wildlife sanctuary. Afterwards, the Collector, Sagar District vide revised order dated 22.07.2017 has reserved the entire 437.575 ha land for CA in lieu of diversion of forest land for Kopra Medium Irrigation project. Now only a part of the said 437.575 ha area is proposed to be used for CA against the instant proposal, which needs justification. The State Govt shall also ensure that land proposed to be given for CA was not part of any village relocation project for which forest land was diverted under Forest(Conservation) Act, 1980.

कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेत् वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि विस्थापन प्रक्रिया में प्राप्त भूमि नहीं है। "किन्त् अधिसूचना दिनांक 700-624-दस-2-75 17.02.1975 द्वारा पूर्व से ही नौरादेही अभयारण्य के भाग के रूप में अधिसूचित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. / 4247 दिनांक 14.12.2022 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उत्तर वनमंडल, सागर एवं दक्षिण वनमंडल, सागर अंतर्गत 150—150 हे. द्गना बिगड़ा वन क्षेत्र चयनित कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत् योजना तैयार की गई है।

उपरोक्तानुसार। संलग्न :-

> क्नुमंडल अधिकारी रादेही (व.प्रा.) वनमंडल सागर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2023 / $8^{()}$

सागर, दिनांक : 10-7-23

1. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि :-सम्प्रेषित।

2. वनमंडल अधिकारी, उत्तर / दक्षिण वनमंडल, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

> नौनदहीं (व.प्रा.) वनमंडल सागर (म.प्र.)